



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 1999/पौष 19, 1920  
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9, 1999/PAUSA 19, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण स्तरीयधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनिषद आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1998

सांका०नि० 10:—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुम्बई समूह "ग" और समूह "घ" (अराज-पत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुम्बई (समूह "ग" और समूह "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना:—ये नियम इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

(55)

